न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मौखमपुरा

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या: 117/2015
रज्जु दिनांक: 11/08/2015
निर्णय दिनांक : 13/06/2016

भवानीशंकर पुत्र स्व. बाबूलाल जाति बलाई, निवासी: बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

--वादी

बनाम

1. कमलादेवी धर्मपत्नि स्व. प्रताप
2. भूरीदेवी पुत्री स्व. प्रताप
3. छोटीदेवी पुत्री स्व. प्रताप
4. सोनीदेवी पुत्री स्व. प्रताप
5. संतोषदेवी पुत्री स्व. प्रताप
6. मंगलचन्द पुत्र स्व. प्रताप
7. नन्दकिशोर पुत्र स्व. प्रताप
8. प्रभूदयाल पुत्र स्व. प्रताप
9. योगराज पुत्र स्व. प्रताप
10. गोविन्दसहाय पुत्र स्व. प्रताप
    समस्त जातियान बलाई, निवासीगण: मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
11. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

--प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88 व 188 रा0टी0एक्ट

उपस्थित:

श्री भंवरलाल जैन एडवोकेट
श्री विनोद कुमार जैन एडवोकेट
श्री राधेश्याम लक्षकार एडवोकेट
श्री नानूराम धाभाई एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी

सहायक कलक्टर
दूदू

Scanned by CamScanner

श्री भगवान सहाय गुर्जर एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ल0 10

निर्णय दिनांकः 13/06/2016

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 72 के आराजी खसरा नंबर 194 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका वादी हिस्सा 11/192 का एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। आराजीयात पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के पति/पिता स्व. प्रताप पुत्र सुवालाल, जाति बलाई, निवासीः मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था, जिससे उक्त आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/10/2008 को क्रय कर लिया, क्रय के पश्चात से वादी आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वरवक्त क्रय से लेकर वर्तमान तक वादी आराजीयात पर काबिज काश्त शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है प्रतिवादीगण का क्रय के पश्चात से आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। क्रय के पश्चात वादी ने आराजीयात का विक्रय पत्र पटवार हल्का को दे दिया था और इसी विश्वास में रहा कि आराजीयात का क्रय का नामान्तकरण वादी के हक में तस्दीक हो गया होगा लेकिन अभी हाल ही में वादी ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो वादी को ज्ञात हुआ कि आराजीयात का विक्रय पत्र के आधार पर वादी के हक में नामान्तकरण तस्दीक नहीं हुआ है तथा खातेदार प्रताप पुत्र सुवालाल की मृत्यु पर उसके वारिशान के नाम से दर्ज हो चुकी है। वादी ने जब खातेदार प्रताप पुत्र सुवालाल के वारिशान अर्थात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 से विवादित आराजीयात वादी के नाम लगाने हेतु सहयोग करने बाबत कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण वादी को आश्वासन देते रहे लेकिन अंत में दिनांक 14/07/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के वादी के नाम आराजीयात लगाने से साफ इंकार कर दिया एवं ऐलानिया धमकी दी कि विवादित आराजीयात उनके नाम है इसलिये वे विवादित आराजीयात का बेचान कर वादी

उप खण्ड अधिकारी
(फास्ट ट्रैक)
दूदू

Scanned by CamScanner

को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करेगे जिससे वादी को वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि विवादित आराजी वर्णित वाद पत्र में वादी को हिस्सा 11/192 का विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से श्री भगवान सहाय गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पक्षकारान ने अपने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 72 के आराजी खसरा नंबर 194 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका वादी हिस्सा 11/192 का एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। आराजीयात पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के पति/पिता स्व. प्रताप पुत्र सुवालाल, जाति बलाई, निवासीः मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था, जिससे उक्त आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/10/2008 को क्रय कर लिया, क्रय के पश्चात से वादी आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वरवक्त क्रय से लेकर वर्तमान तक वादी आराजीयात पर काबिज काश्त शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है प्रतिवादीगण का क्रय के पश्चात से आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। क्रय के पश्चात वादी ने आराजीयात का विक्रय पत्र पटवार हल्का को दे दिया था और इसी विश्वास में रहा कि आराजीयात का क्रय का नामान्तकरण वादी के हक में तस्दीक हो गया होगा जब वादी ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो वादी को ज्ञात हुआ कि आराजीयात का विक्रय पत्र के आधार पर वादी के

Scanned by CamScanner

हक में नामान्तकरण तस्दीक नहीं हुआ है तथा खातेदार प्रताप पुत्र सुवालाल की मृत्यु पर वारिशान के नाम से दर्ज हो चुकी है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी में वादी को हिस्सा 11/192 का विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि हमारी पूर्ण सहमति है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। राजीनामानुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 11 ने जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2008, पक्षकारान का राजीनामा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आराजी खसरा नंबर 194 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान में हिस्सा 11/192 की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2008 के अवलोकन से यह निष्कर्ष पाया गया कि खसरा नंबर 194 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान में हिस्सा 11/192 की आराजीयात पूर्व में प्रतिवादीगण के संबंधी प्रताप पुत्र सुवालाल के नाम दर्ज थी। प्रताप पुत्र सुवालाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 22.10.2008 के द्वारा वादी को बेचान कर दी, किन्तु राजस्व कारकुनानो की गलती से विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हो सका जिस कारण प्रताप पुत्र सुवालाल की मृत्यु के पश्चात आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के नाम दर्ज हो गयी है जो वर्तमान में भी यथावत है।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 ने राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के वाद को डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 194 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर

(फास्ट ट्रेक)
दूदू

Scanned by CamScanner

में हिस्सा 11/192 की आराजीयात जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है, न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 194 रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में हिस्सा 11/192 की आराजीयात जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/06/2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मौखमपुरा में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर [illegible]

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) [illegible], जिला-[illegible]

इजलास श्री [illegible] कुमार [illegible] आर. ए. एस.

[illegible] पुत्र स्व. बाबूलाल [illegible] बनाम 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible]

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 17/2015 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नवरतनलाल जैन, श्री विनोदकुमार जैन

हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री [illegible] गुर्जर

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद राजीनामा [illegible] स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ख.नं. 194 रकबा [illegible] 0.58 है० वाके ग्राम [illegible] तह० [illegible] जिला [illegible] के हिस्सा 11/194 को [illegible] का वर्तमान [illegible] प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 10 के [illegible] है उन वादी को [illegible] घोषित किया जाता है [illegible] को [illegible]

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद नशरह .... फीसदी .... की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह ....

जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) [illegible]

(मुहर: सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट [illegible])

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

7. नन्द किशोर 8. प्रभुदयाल 9. मोहनराम 10. गोविन्द
पुत्रान देव. नारायण, जाति - कुम्हार निवासी मोहनपुरा, तहसील मौजमाबाद
11. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहनलाल, निवासी जयपुर

प्रतिवादीगण

* लिखा जाता है कि वह निर्णय/नकल राजस्व रिकॉर्ड में
अमल दरामद करें/ वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध
चाहा गया स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार
किया गया है तथा पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दूदू

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
सत्यमेव जयते
दूदू